

महत्वपूर्ण सूचना

विषय:- खेलकूद कोटा वर्ष 2023-24 में अधिसूचना संख्या 05/2023 (उपरे/स्पोर्ट्स/खुला विज्ञापन) के अंतर्गत अजमेर मंडल के पदों पर भर्ती हेतु ट्रायल के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1. रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर द्वारा खेलकूद कोटा वर्ष 2023-24 के तहत जारी संख्या 05/2023.

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना दिनांक 12.03.2024

रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर द्वारा खेलकूद कोटा वर्ष 2023-24 के तहत अधिसूचना संख्या 05/2023 के क्रम में प्राप्त आवेदनों की जांच करने के उपरान्त पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय की संदर्भित सूचना दिनांक 12.03.2024 के द्वारा जारी की गई थी तथा सूचना दिनांक 12.03.2024 के द्वारा अजमेर मंडल पर वर्ष 2023-24 हेतु खेलकूद कोटे के तहत Wrestling एवं Shooting के लिए भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों को ट्रायल के लिए स्थान- अजमेर व तिथि दिनांक 23.03.2024 के बारे में अवगत करवाया गया है।

पात्र पाये गये सभी अभ्यर्थी ट्रायल हेतु निर्धारित की गई तिथि से एक दिन पूर्व इस कार्यालय में उपस्थित होकर ट्रायल का स्थान एवं समय की जानकारी आवश्यक रूप से प्राप्त करें।

ट्रायल के लिए उपस्थित होने वाले पात्र अभ्यर्थी निम्न निर्देशों का ध्यान रखें:-

1. अभ्यर्थी अपने साथ ऑनलाईन आवेदन करते समय अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं 01 सेट स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति ट्रायल में भाग लेते समय आवश्यक रूप से साथ लावे अन्यथा उन्हें ट्रायल में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जायेगा। यदि कोई दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में है तो उसका अनुवाद हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्वयं द्वारा सत्यापित कर साथ में लाना होगा। केवल उन्हीं दस्तावेजों पर विचार किया जायेगा जिन्हें ऑनलाईन आवेदन करते समय अपलोड किया गया हो।
2. ट्रायल हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का दैनिक/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. अभ्यर्थी ट्रायल के समय संबंधित खेल की किट आवश्यक रूप से अपने साथ लावे।
4. अभ्यर्थियों को ट्रायल एवं भर्ती की प्रक्रिया हेतु 02-03 दिन रूकना पड़ सकता है जिसके लिए उन्हें स्वयं के स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
5. रेल प्रशासन ट्रायल की तिथि में किसी बदलाव, स्थान परिवर्तन अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में निरस्त करने का अधिकार रखता है जिसके लिए किसी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन करते समय अपलोड की गई फोटोग्राफ, दस्तावेजों का सत्यापन/ट्रायल के समय मिलान होना चाहिए।
7. चयन हेतु किसी भी प्रकार की Canvassing, Misbehavior or Misconduct के लिए उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है जिसके लिए कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार की शक्तिवर्धक दवा/ड्रग्स/स्टॉरॉइड/एलकोहॉल का उपयोग पूर्णतया वर्जित है तथा उम्मीदवार को आवश्यक होने पर चिकित्सा जांच हेतु भेजा जा सकता है। इन पदार्थों का उपयोग किया जाना पाये जाने पर ट्रायल/भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया

जायेगा तथा उसकी उम्मीदवारी को रद्द करते हुए भारतीय रेलवे की सभी भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित कर दिया जायेगा।

9. किसी भी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रतिरूपण (Impersonation) करने का प्रयास नहीं करना चाहिए या किसी प्रतिरूपक (Impersonation) की सहायता नहीं लेनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को सभी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती कक्ष परीक्षाओं या रेलवे में किसी भी नियुक्ति में शामिल होने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी-कार्यवाही भी की जा सकती है।
10. उक्त के अतिरिक्त रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 05/2023 (NWR/Sports/Open Advt.) दिनांक 08.09.2023 में निहित सभी नियम व शर्तें अक्षरशः लागू रहेगी।
11. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह रेलवे में नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके धोखा देने की कोशिश करने वाले दलालों और नौकरी रैकेटर्स से सावधान रहें।

(संख्या- NWR-AII0PERS(EP)/3/2024-O/o Sr.DPO/AII/NWR दिनांक 13.03.2024)

संलग्न:- पात्र / अपात्र आवेदकों की सूची

082 13/3/24

वंदना चौबे

सहायक कार्मिक अधिकारी- अजमेर